राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 406/2024
राकेश कुमार सक्सैना

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एन. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी–प्रथम के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज नोखा, उप वन संरक्षक, बीकानेर से रेंज रतनगढ, उप वन संरक्षक, चूरू किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्प अवधि में बार–बार किया गया है। गत तीन वर्ष में अपीलार्थी का चार बार स्थानांतरण किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपनाई गई स्थानांतरण नीति के अनुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण दो वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकता था, परंतु फिर भी स्थानांतरण नीति के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पत्नी हृदय रोग, मधुमेह एवं बीपी से पीड़ित है। उनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किये जाने से अपीलार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. पत्रावली से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर जनवरी, 2023 से पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण एक वर्ष बाद किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्प अवधि में किया गया है। चूंकि प्रशासनिक दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासनिक दृष्टि से किये गये स्थानांतरण को इस आधार पर गलत होना नही माना जा सकता है कि स्थानांतरण, स्थानांतरण नीतियों के विरूद्ध हो। स्थानांतरण नीति को भी देखे तो उसमें दो वर्ष से पूर्व विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव** (**(1995) 3 एस.सी.सी. 270**) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and*

efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)